Anusanadhan: A Multidisciplinary International Journal (In Hindi)
Volume 11, Issue 3&4 - 2026, Pg. No. 86-90
Peer Reviewed Journal

Review Article

74वें संविधान संशोधन के पश्चात भारत में नगरीय स्थानीय स्वशासन: उपलब्धियाँ एवं चुनौतियाँ

हरवीर सिंह[1], कृष्ण गोपाल महावर[2]
[1]सहायक आचार्य (लोक प्रशासन), शोधार्थी, एमएसजे राजकीय महाविद्यालय, भरतपुर, कोटा विश्वविद्यालय, राजस्थान, भारत
[2]आचार्य (लोक प्रशासन), शोध पर्यवेक्षक, एमएसजे राजकीय महाविद्यालय, भरतपुर, कोटा विश्वविद्यालय, राजस्थान, भारत
DOI: https://doi.org/10.24321/2456.0510.202626

I N F O

Corresponding Author:
हरवीर सिंह, एमएसजे राजकीय महाविद्यालय, भरतपुर, कोटा विश्वविद्यालय, कोटा, राजस्थान, भारत।
E-mail Id:
harvirsingh017@gmail.com
Orcid Id:
https://orcid.org/0009-0005-1628-9413
How to cite this article:
हरवीर सिंह, कृष्ण गोपाल महावर, 74वें संविधान संशोधन के पश्चात भारत में नगरीय स्थानीय स्वशासन: उपलब्धियाँ एवं चुनौतियाँ, Anu: a, Mul, Int, Jour, *2026*; 11(3&4): 86-90.

Date of Submission: 2026-09-18
Date of Acceptance: 2026-10-19

A B S T R A C T

भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया को संस्थागत आधार प्रदान करने की दिशा में 74वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 एक महत्वपूर्ण अध्याय माना जाता है। इस संशोधन द्वारा संविधान में भाग IX-A जोड़ा गया तथा नगरीय स्थानीय निकायों को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। इसके अंतर्गत नगर पंचायत, नगर परिषद तथा नगर निगम की व्यवस्था, नियमित निर्वाचन, आरक्षण, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य वित्त आयोग, जिला योजना समिति तथा महानगरीय योजना समिति जैसी व्यवस्थाओं को संवैधानिक आधार मिला। इस संशोधन अधिनियम का मूल उद्देश्य नगरीय स्थानीय निकायों को स्थानीय स्वशासन की प्रभावी संस्थाओं के रूप में विकसित करना था। पिछले तीन दशकों में नगरीय निकायों ने शहरी स्वच्छता, पेयजल, आवास, सड़क, जल निकासी, डिजिटल सेवा वितरण तथा नागरिक सुविधाओं के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। स्वच्छ भारत मिशन-शहरी, अमृत, स्मार्ट सिटी तथा अन्य शहरी विकास कार्यक्रमों ने नगर निकायों की प्रशासनिक भूमिका को विस्तारित किया है। दूसरी ओर, वास्तविक प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वायत्तता, कार्यों का प्रभावी हस्तांतरण, पर्याप्त मानव संसाधन, स्थानीय राजस्व की सीमित क्षमता, राज्य सरकारों पर निर्भरता तथा योजना निर्माण में नागरिक सहभागिता जैसी समस्याएँ अभी भी महत्वपूर्ण हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की म्युनिसिपल फाइनेंस रिपोर्ट (2024) में 232 नगर निगमों के वित्तीय विश्लेषण से यह स्पष्ट हुआ कि अनेक नगर निगम अपने स्वयं के राजस्व से राजस्व व्यय की आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम नहीं हैं तथा उच्चतर सरकारों से प्राप्त अनुदानों एवं हस्तांतरणों पर निर्भरता बनी हुई है। यह शोध-पत्र 74वें संविधान संशोधन के पश्चात नगरीय स्थानीय स्वशासन की संस्थागत उपलब्धियों और प्रमुख चुनौतियों का विश्लेषण करता है तथा नगरीय स्वशासन को अधिक प्रभावी बनाने हेतु प्रशासनिक एवं नीतिगत सुझाव प्रस्तुत करता है।

मुख्य शब्द: 74वाँ संविधान संशोधन, नगर निगम, नगर परिषद, विकेंद्रीकरण, वित्तीय स्वायत्तता|

Copyright (c) 2026: Author(s). Published by Advanced Research Publications

प्रस्तावना

भारत में स्थानीय स्वशासन की अवधारणा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण से जुड़ी हुई है। लोकतंत्र की वास्तविक सफलता केवल राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर प्रतिनिधि संस्थाओं की स्थापना से सुनिश्चित नहीं होती, बल्कि नागरिकों के दैनिक जीवन से संबंधित निर्णयों में स्थानीय स्तर पर उनकी भागीदारी भी आवश्यक है। नगरों में नागरिकों को पेयजल, स्वच्छता, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सड़क, प्रकाश व्यवस्था, सार्वजनिक स्वास्थ्य, नगरीय नियोजन तथा अन्य मूलभूत सेवाएँ उपलब्ध कराने में नगरीय स्थानीय निकायों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

भारत में नगरीय संस्थाओं का इतिहास औपनिवेशिक काल तक जाता है, किंतु लंबे समय तक ये संस्थाएँ मुख्यतः राज्य सरकारों के नियंत्रण में कार्य करती रहीं। इनके पास पर्याप्त वित्तीय संसाधन, प्रशासनिक क्षमता और स्पष्ट रूप से हस्तांतरित कार्य नहीं थे। इस पृष्ठभूमि में नगरीय स्थानीय निकायों को संवैधानिक आधार प्रदान करने की आवश्यकता अनुभव की गई।

इसी उद्देश्य से संविधान (74वाँ संशोधन) अधिनियम, 1992 पारित किया गया, जो 1 जून 1993 से प्रभावी हुआ। इसके माध्यम से संविधान में भाग IX-A जोड़ा गया और अनुच्छेद 243P से 243ZG तक नगरीय स्थानीय निकायों से संबंधित प्रावधान किए गए। संविधान के अनुच्छेद 243Q के अनुसार प्रत्येक राज्य में संक्रमणशील क्षेत्र के लिए नगर पंचायत, छोटे नगरीय क्षेत्र के लिए नगर परिषद तथा बड़े नगरीय क्षेत्र के लिए नगर निगम का गठन किया जाना है।

इस प्रकार 74वाँ संविधान संशोधन केवल नगर निकायों के गठन से संबंधित कानून नहीं था, बल्कि इसका व्यापक उद्देश्य नगरीय शासन में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, प्रतिनिधित्व, जवाबदेही और स्थानीय निर्णय-निर्माण को संस्थागत रूप देना था।

74वें संविधान संशोधन की प्रमुख विशेषताएँ – इस संविधान संदहोढ़न अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं -

नगरीय स्थानीय निकायों को संवैधानिक मान्यता -74वें संविधान संशोधन की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि नगरीय स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करना है। इससे नगर निकायों का अस्तित्व केवल राज्य सरकार की सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था का हिस्सा न रहकर संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के रूप में स्थापित हुआ।

तीन प्रकार के नगरीय निकाय - संविधान के अनुच्छेद 243Q के अंतर्गत तीन प्रकार की संस्थाओं की व्यवस्था की गई—

I. नगर पंचायत—ग्रामीण से नगरीय क्षेत्र में परिवर्तित हो रहे क्षेत्रों के लिए।
II. नगर परिषद—छोटे नगरीय क्षेत्रों के लिए।
III. नगर निगम—बड़े नगरीय क्षेत्रों के लिए।

नियमित निर्वाचन - नगरीय स्थानीय निकायों का कार्यकाल सामान्यतः पाँच वर्ष निर्धारित किया गया। चुनाव कराने की जिम्मेदारी राज्य निर्वाचन आयोग को दी गई। इससे स्थानीय निकायों के चुनावों को संस्थागत एवं संवैधानिक आधार प्राप्त हुआ।

आरक्षण - अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटों के आरक्षण तथा महिलाओं के लिए कम-से-कम एक-तिहाई सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया। इस व्यवस्था ने नगरीय राजनीतिक संस्थाओं में सामाजिक प्रतिनिधित्व के विस्तार का मार्ग प्रशस्त किया।

बारहवीं अनुसूची - 74वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में बारहवीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें नगरीय निकायों से संबंधित 18 विषयों को स्थान दिया गया। इनमें नगरीय नियोजन, भूमि उपयोग का विनियमन, सड़कें, जलापूर्ति, सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, अग्निशमन, नगरीय वानिकी, झुग्गी सुधार आदि प्रमुख हैं।

हालाँकि इन विषयों का वास्तविक हस्तांतरण राज्यों के कानूनों एवं प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर निर्भर करता है। केंद्र सरकार के एक आधिकारिक दस्तावेज में भी यह रेखांकित किया गया है कि कई राज्यों ने बारहवीं अनुसूची के विषयों को अपने नगरपालिका कानूनों में शामिल तो किया, लेकिन उनका प्रभावी हस्तांतरण अनेक स्थानों पर पूर्ण रूप से नहीं हुआ।

74वें संविधान संशोधन के पश्चात प्रमुख उपलब्धियाँ

नगरीय स्थानीय निकायों का संस्थागत सुदृढ़ीकरण - 74वें संशोधन के बाद नगर निकायों को संवैधानिक पहचान मिली। नियमित चुनाव, आरक्षण और पाँच वर्षीय कार्यकाल जैसी व्यवस्थाओं ने स्थानीय लोकतंत्र को अधिक संस्थागत रूप प्रदान किया।

राजनीतिक प्रतिनिधित्व का विस्तार - महिलाओं तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण ने नगरीय राजनीतिक प्रतिनिधित्व का आधार व्यापक किया। इससे स्थानीय राजनीति में ऐसे वर्गों की भागीदारी बढ़ी जिन्हें पूर्व में पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं था।

शहरी सेवा वितरण में भूमिका - नगर निकायों की भूमिका स्वच्छता, पेयजल, सड़क, प्रकाश, अपशिष्ट प्रबंधन तथा अन्य नागरिक सेवाओं में बढ़ी है। विभिन्न केंद्रीय योजनाओं ने नगर निकायों को इन सेवाओं के क्रियान्वयन में भागीदार बनाया है। उदाहरण के लिए, स्वच्छ भारत मिशन-शहरी का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को मजबूत करना रहा है। 2021 में शुरू किए गए स्वच्छ भारत मिशन- शहरी 2.0 ने इस दिशा को आगे बढ़ाया।

शहरी बुनियादी ढाँचे में सुधार – अमृत तथा अमृत 2.0 के माध्यम से जलापूर्ति, सीवरेज, जल निकायों के पुनर्जीवन तथा शहरी हरित क्षेत्रों से संबंधित परियोजनाओं को बढ़ावा मिला है।अमृत 2.0 में संपत्ति कर, उपयोगकर्ता शुल्क, शिकायत निवारण तथा शहरी वित्तीय स्वास्थ्य जैसे प्रशासनिक सुधारों को भी महत्व दिया गया है।

डिजिटल प्रशासन की ओर बढ़ता कदम - ई-गवर्नेंस, ऑनलाइन शिकायत निवारण, डिजिटल कर भुगतान तथा डिजिटल नागरिक सेवाओं के विस्तार ने नगरीय प्रशासन की कार्यप्रणाली में परिवर्तन किया है। राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन का उद्देश्य शहरी पारिस्थितिकी तंत्र के लिए साझा डिजिटल आधारभूत संरचना विकसित करना है।

वित्तीय स्थिति पर बढ़ता संस्थागत ध्यान -स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति को समझने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नगर निकायों के वित्त पर अध्ययन किया जाना स्वयं एक महत्वपूर्ण संस्थागत विकास है। 2024 की रिपोर्ट में 232 नगर निगमों को शामिल किया गया, जो देश के कुल नगर निगमों के 90 प्रतिशत से अधिक को कवर करते हैं।

नगरीय स्थानीय स्वशासन की प्रमुख चुनौतियाँ -

- वास्तविक स्वायत्तता का प्रश्न - संवैधानिक मान्यता के बावजूद नगरीय निकायों की वास्तविक स्वायत्तता अनेक राज्यों में सीमित है। नगरीय विकास से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण कार्य राज्य सरकारों, विकास प्राधिकरणों, जल बोर्डों तथा अन्य पराशासकीय संस्थाओं के पास बने रहते हैं। इससे नगर निकायों की भूमिका और उत्तरदायित्व के बीच अंतर उत्पन्न हो सकता है।
- कार्यों का अपूर्ण हस्तांतरण - बारहवीं अनुसूची में 18 विषयों को स्थान दिए जाने के बावजूद सभी राज्यों में इन विषयों का समान स्तर पर वास्तविक हस्तांतरण नहीं हुआ है। कई मामलों में नगर निकाय उत्तरदायित्व तो वहन करते हैं, लेकिन संबंधित कार्यों पर पूर्ण प्रशासनिक नियंत्रण उनके पास नहीं होता। इससे उत्तरदायित्व और अधिकार के बीच असंतुलन उत्पन्न होता है।
- वित्तीय निर्भरता - नगरीय स्वशासन की प्रभावशीलता के लिए वित्तीय स्वायत्तता आवश्यक है। लेकिन अनेक नगर निकायों की अपनी आय सीमित है। भारतीय रिजर्व बैंक की 2024 की रिपोर्ट के अनुसार अधिकांश नगर निगमों में स्वयं के स्रोतों से प्राप्

- राजस्व उनके राजस्व व्यय की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है और उच्चतर सरकारों से प्राप्त हस्तांतरण एवं अनुदानों पर निर्भरता बनी हुई है। यह स्थिति स्थानीय स्वायत्तता को प्रभावित करती है।
- संपत्ति कर की सीमित क्षमता - नगर निकायों के लिए संपत्ति कर एक महत्वपूर्ण स्थानीय राजस्व स्रोत है, किंतु संपत्तियों की अपूर्ण पहचान, मूल्यांकन की समस्याएँ, कमजोर संग्रह व्यवस्था और राजनीतिक-सामाजिक प्रतिरोध इसकी क्षमता को प्रभावित कर सकते हैं।
- मानव संसाधन की कमी - कई नगर निकायों में प्रशिक्षित प्रशासनिक, तकनीकी, वित्तीय तथा शहरी नियोजन विशेषज्ञों की पर्याप्त उपलब्धता नहीं है। तेजी से बढ़ते शहरीकरण के अनुपात में प्रशासनिक क्षमता का विकास न होने पर सेवा वितरण की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है।
- नगरीय नियोजन में समन्वय की समस्या - शहरी क्षेत्र केवल नगरपालिका की सीमाओं तक सीमित नहीं रहते। महानगरीय क्षेत्रों में नगर निगम, नगर परिषद, विकास प्राधिकरण, परिवहन संस्थाएँ, जल एवं सीवरेज एजेंसियाँ तथा राज्य सरकार के विभिन्न विभाग एक साथ कार्य करते हैं। इनके बीच प्रभावी समन्वय का अभाव समग्र शहरी नियोजन के लिए चुनौती बन सकता है।
- नागरिक सहभागिता की सीमाएँ - स्थानीय स्वशासन की सफलता केवल निर्वाचित प्रतिनिधियों की उपस्थिति पर निर्भर नहीं करती। नागरिकों की योजना निर्माण, बजट, निगरानी और शिकायत निवारण में प्रभावी भागीदारी भी आवश्यक है। डिजिटल प्लेटफॉर्मों ने भागीदारी के नए अवसर बनाए हैं, लेकिन डिजिटल विभाजन के कारण सभी नागरिकों को समान रूप से लाभ मिलना सुनिश्चित करना भी आवश्यक है।

उपलब्धियों एवं चुनौतियों का समग्र विश्लेषण

74वें संविधान संशोधन के बाद भारत में नगरीय स्थानीय स्वशासन ने संस्थागत स्तर पर महत्वपूर्ण प्रगति की है। संवैधानिक मान्यता, नियमित निर्वाचन, आरक्षण, राज्य निर्वाचन आयोग तथा वित्तीय समीक्षा की व्यवस्था ने स्थानीय लोकतंत्र की आधारभूत संरचना को मजबूत किया है। लेकिन संवैधानिक विकेंद्रीकरण और वास्तविक प्रशासनिक विकेंद्रीकरण के बीच अंतर अभी भी अध्ययन का महत्वपूर्ण विषय है। केवल कानून में कार्यों का उल्लेख कर देना पर्याप्त नहीं है। प्रभावी विकेंद्रीकरण के लिए तीन तत्वों—कार्य, वित्त और कार्मिक—का समुचित हस्तांतरण आवश्यक है।

वर्तमान परिस्थितियों में नगरीय निकायों को अनेक सेवाओं की जिम्मेदारी दी जाती है, लेकिन वित्तीय एवं प्रशासनिक साधनों की उपलब्धता समान अनुपात में नहीं होती। इसी संदर्भ में स्थानीय वित्त की समस्या विशेष महत्व रखती है। रिजर्व बैंक की 2024 की रिपोर्ट के अनुसार नगर निगमों के अपने स्रोतों का राजस्व पर्याप्त न होने के कारण उनकी कार्यात्मक एवं वित्तीय स्वायत्तता प्रभावित हो सकती है।

इसलिए 74वें संविधान संशोधन की उपलब्धियों का मूल्यांकन केवल संस्थाओं की संख्या या चुनावों की नियमितता के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि यह भी देखना आवश्यक है कि नगर निकाय अपने संवैधानिक दायित्वों को कितनी स्वतंत्रता, वित्तीय क्षमता और प्रशासनिक दक्षता के साथ पूरा कर पा रहे हैं।

नगरीय स्थानीय स्वशासन को सुदृढ़ करने हेतु सुझाव

1 कार्य, वित्त एवं कार्मिक का वास्तविक हस्तांतरण किया जाना चाहिए।
2 बारहवीं अनुसूची के विषयों का राज्य स्तर पर स्पष्ट गतिविधियों का निर्धारण एवं विभाजन किया जाना चाहिए।
3 नगर निकायों की स्वयं की आय बढ़ाने के लिए संपत्ति कर सुधार, उपयोगकर्ता शुल्क और डिजिटल कर संग्रह को मजबूत किया जाना चाहिए।

4 प्रत्येक नगर निकाय में आवश्यकतानुसार शहरी नियोजन, वित्त, इंजीनियरिंग और सूचना प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए।

5 राज्य वित्त आयोगों की सिफारिशों पर समयबद्ध कार्रवाई होनी चाहिए।

6 नगर निकायों के बजट और व्यय संबंधी सूचनाओं को अधिक पारदर्शी एवं नागरिक-अनुकूल बनाया जाना चाहिए।

7 वार्ड समितियों एवं नागरिक सहभागिता के अन्य माध्यमों को प्रभावी बनाया जाना चाहिए।

8 नगर निकायों में ई-गवर्नेंस एवं डिजिटल सेवा वितरण को नागरिकों की पहुँच और डिजिटल समावेशन के साथ जोड़ा जाना चाहिए।

9 महानगरीय एवं बड़े शहरी क्षेत्रों में विभिन्न प्रशासकीय संस्थाओं के बीच संस्थागत समन्वय विकसित किया जाना चाहिए।

10 स्थानीय निकायों की कार्यक्षमता के मूल्यांकन के लिए सेवा वितरण, वित्तीय प्रदर्शन, नागरिक संतुष्टि और जवाबदेही पर आधारित नियमित निष्पादन लेखा परीक्षण की व्यवस्था विकसित की जानी चाहिए।

निष्कर्षत

74वाँ संविधान संशोधन भारतीय नगरीय स्थानीय स्वशासन के विकास में एक महत्वपूर्ण संवैधानिक हस्तक्षेप था। इसने नगर निकायों को संवैधानिक पहचान, नियमित निर्वाचन, आरक्षण तथा संस्थागत निरंतरता प्रदान की। इसके पश्चात नगरीय निकायों की भूमिका केवल पारंपरिक नगरपालिका सेवाओं तक सीमित न रहकर शहरी विकास, स्वच्छता, जलापूर्ति, डिजिटल प्रशासन, आवास तथा बुनियादी ढाँचे तक विस्तृत हुई है। फिर भी संवैधानिक व्यवस्था का उद्देश्य तभी पूर्ण रूप से साकार माना जा सकता है जब नगर निकायों को अपने कार्यों के अनुरूप पर्याप्त अधिकार, वित्तीय संसाधन और प्रशासनिक क्षमता प्राप्त हो। वर्तमान में वित्तीय निर्भरता, कार्यों का अपूर्ण हस्तांतरण, मानव संसाधन की कमी, संस्थागत समन्वय तथा नागरिक सहभागिता जैसी चुनौतियाँ नगरीय स्वशासन की प्रभावशीलता को प्रभावित करती हैं।

अतः भविष्य की दिशा केवल नगर निकायों की संख्या बढ़ाने अथवा योजनाओं के विस्तार तक सीमित न होकर वास्तविक विकेंद्रीकरण, वित्तीय सुदृढ़ीकरण, प्रशासनिक क्षमता निर्माण, डिजिटल पारदर्शिता और नागरिक-केंद्रित शासन पर केंद्रित होनी चाहिए। इस दृष्टि से 74वें संविधान संशोधन को एक पूर्ण उपलब्धि के बजाय निरंतर विकसित होने वाली विकेंद्रीकरण प्रक्रिया के रूप में देखना अधिक उपयुक्त होगा।

संदर्भ सूची

1. अवस्थी, ए. एवं अवस्थी, महेश्वरी (2014), *भारतीय प्रशासन*, नई दिल्ली: लक्ष्मी नारायण अग्रवाल।
2. खान, इरशाम, "74वां संविधान संशोधन : नगरीय स्थानीय स्वशासन का वैधानिक एवं संस्थागत स्वरूप", रीसर्च रीइनफोर्समेंट, राजनीति विज्ञान विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
3. माहेश्वरी, एस. आर. (2010, *भारत में स्थानीय शासन*, लक्ष्मी नारायण अग्रवाल प्रकाशन, आगरा
4. शर्मा, रविन्द्र (2010), *भारत में स्थानीय प्रशासन*, जयपुर: पंचशील प्रकाशन।
5. शर्मा, हरिश्चन्द्र (2005), *भारत में स्थानीय प्रशासन*, नई दिल्ली।
6. भारत सरकार, *संविधान (74वाँ संशोधन) अधिनियम, 1992*, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय।
7. पुरोहित, बी. आर. (2015), नगरीय स्थानीय स्वशासन, कॉलेज बुक डिपो, जयपुर
8. सचदेवा, प्रदीप. (2016), भारत में स्थानीय सरकार. नई दिल्ली: पियर्सन प्रकाशन, दिल्ली|